रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-25042026-272090
SG-DL-E-25042026-272090

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106]	दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 2026/वैशाख 4, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 17
No. 106]	DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 2026/VAISAKHA 4, 1948	[N. C. T. D. No. 17

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 अप्रैल, 2026

फा. सं. 14(108)/LA/2026/ ala1/44-53.— दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 अप्रैल, 2026 को मिली अनुमति के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा का निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता हैः-

सोसायटी पंजीकरण (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2026

(2026 का दिल्ली अधिनियम संख्या 07)

(27th मार्च 2026 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

(दिनांक 24 अप्रैल, 2026)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में यथा लागू)

एक अधिनियम दिल्ली राज्य में लागू सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 में संशोधन करने हेतु एक अधिनियम।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में दिल्ली विधान सभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो-

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ	1. इस अधिनियम को सोसायटी पंजीकरण (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जाएगा। 2. यह सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से लागू होगा।
1860 के अधिनियम XXI में धारा 12सी के पश्चात् धारा 12डी का अंतःस्थापन	12डी- धारा 12सी के पश्चात्, निम्नलिखित धारा को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः 12डी- कतिपय परिस्थितियों में पंजीयक की पंजीकरण को निरस्त करने की शक्ति-(1) इस अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी, पंजीयक निम्नलिखित आधारों में से किसी पर लिखित आदेश द्वारा किसी सोसायटी का पंजीकरण निरस्त कर सकता है- क) कि सोसायटी या उसके नाम का पंजीकरण या नाम परिवर्तन इस अधिनियम के प्रावधानों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के प्रतिकूल है. (ख) कि इसकी गतिविधियों या प्रस्तावित गतिविधियों सोसायटी के उद्देश्यों को नष्ट करने वाली या सार्वजनिक नीति की विरोधी हो गई है अथवा है या हो जाएंगी, (ग) कि पंजीकरण या नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र गलत बयानी या धोखाधडी से प्राप्त किया गया है। बशर्ते कि किसी भी सोसायटी के पंजीकरण के निरसन का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि सोसायटी को अपना नाम या उद्देश्य बदलने या उसके संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर प्रदान न किया गया हो। (2) उप-धारा (1) के अंतर्गत किए गए आदेश के विरुद्ध कोई अपील उस प्रभाग के आयुक्त को अधिमानतः ऐसे आदेश की सूचना की तिथि से एक माह के भीतर की जा सकती है, जिसके अधिकार क्षेत्र में सोसायटी का मुख्यालय स्थित है। (3) उप-धारा (2) के अतर्गत आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा तथा किसी भी न्यायालय में पश्नगत नहीं किया जाएगा।

मनमीत सिंह वालिया, संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 24th April, 2026

F. No. 14(108)/LA/2026/ ala1 /44-53.— The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 23rd April, 2026 and is hereby published for general information.

THE SOCIETIES REGISTRATION (DELHI AMENDMENT) ACT, 2026

(DELHI ACT No. 07 OF 2026)

(As passed by the Legislative Assembly of the National capital Territory of Delhi on 27th March, 2026)

[24th April, 2026]

(AS APPLICABLE IN THE JURISDICTION OF GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI)

An Act to amend the Societies Registration Act, 1860, in its application to the State of Delhi.

Be it enacted by the Delhi Legislative Assembly in the Seventy Seventh year of Republic of India as follows:-

Short title and commencement	1. This Act may be called Societies Registration (Delhi Amendment) Act, 2026. 2. It shall come into force on the date on which it is notified in the official gazette by the Government.
Insertion of Section 12D after Section 12C in Act XXI of 1860	12D- After section 12C, insert the following section, namely: **12D** Registrar's power to cancel registration in certain circumstances.-(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Registrar may, by order in writing, cancel the registration of any society on any of the following grounds- (a) that the registration of the society or of its name or change of name is contrary to the provisions of this Act or of any other law for the time being in force; (b) that its activities or proposed activities have been or are or will be subversive of the objects of the society or opposed to public policy; (c) that the registration or the certificate of renewal has been obtained by misrepresentation or fraud; Provided that no order of cancellation of registration of any society shall be passed until the society has been given a reasonable opportunity of altering its name or object or of showing cause against the action proposed to be taken in regard to it. (2) An appeal against an order made under sub-section (1) may be preferred to the Commissioner of the Division in whose jurisdiction the Headquarter of the society lies, within one month from the date of communication of such order. (3) The decision of the Commissioner under sub-section (2), shall be final and shall not be called in question in any court.

MANMEET SINGH WALIA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA